



रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना)  
Contoller of Defence Accounts (Army)  
बेल्वेडियर परिसर, आयुध पथ, मेरठ छावनी-250001  
Belvedere Complex, Ayudh Path, Meerut Cantt-250001  
फोन Phone 0121-2794354 फैक्स संख्या 0121-2646254



संख्या: एनपीएस/9823/परिपत्र/2022

दिनांक 20/10/2022

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

1. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सेना) देहारादून
2. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सेना) आगरा
3. लेखा कार्यालय, भारतीय सैन्य अकादमी, देहारादून
4. वेतन अनुभाग-I (स्थानीय)
5. प्रशासन-III (वेतन) (स्थानीय)
6. समस्त लेखा अधिकारी दुर्ग अभियंता

विषय: नियमित और समय पर एनपीएस अंशदान पर परामर्श।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के दिनांक 16/09/2022 के पत्रांक PFRDA/17/07/11/0004/2020-SUP-CG (प्रतिलिपि संलग्न) का संज्ञान ले। जिसके द्वारा भारत सरकार, वित मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 02/09/2008 के कार्यालय जापन No. 1(7) (2003)/TA/Part file/ 279 और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 में दिये गए प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में परामर्श जारी किया गया है।

2. इस संबंध में कृपया इस कार्यालय के दिनांक 05/09/2022 के समसंख्यक पत्रांक के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भी संज्ञान ले जिसके द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 में दिये गए प्रावधानों (विशेषकर नियम 4,6,7,8,10,11,12 और 25) को अनिवार्य अनुपालन के संबंध मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 03/08/2022 के पत्रांक AT-II/NPS/PAOs Performance/E-1997 से प्राप्त निर्देशों को प्रेषित किया गया था।
3. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के उक्त पत्र के अनुसार चूंकि एनपीएस एक बाजार से जुड़ी अंशदाती पेंशन योजना है इसलिए अंशदाताओं के एनपीएस योगदान को देर से अपलोड/प्रेषित करने से अंशदाताओं का वितीय नुकसान हो सकता है, जिसका पेंशन धन संचय पर एक दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप संबन्धित एनपीएस अभिदाता का पेंशन भुगतान कम हो सकता है।
4. इस संबंध में सभी कार्यालय प्रभारियों से निवेदन किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 में विभिन्न एनपीएस गतिविधियों के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि

आईटी&एस अनुभाग (स्थानीय) : वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

लेखा अधिकारी (वेतन-एनपीएस)

लेखा अधिकारी (वेतन-एनपीएस)

PFRDA/17/07/11/0004/2020-SUP-CG

16.09.2022

392  
29/9/22

To,

Additional Controller  
CDA (Army), Meerut Cantonment,  
CDA Army, Belvedere Complex,  
Ayudh Path, Meerut Cantt- 250001

Sir/Madam,

*(Not Pay)  
29/9/22  
for compliance  
8/10/22  
28/9/22*

महोदय/महोदया,

**Subject: Advisory on Regular and timely NPS Contribution**

**विषय: विषय:- नियमित और समय पर एनपीएस अंशदान पर परामर्श**

As you are aware, NPS is a market linked contributory pension scheme. Hence, delays in preparation of salary bills, upload/remittance of both employer and employee NPS contribution may cause a monetary loss to the subscriber, which has a snowballing effect on the pension wealth accumulation and as a consequence reduced pension pay-out to the concerned employee/subscribers covered under NPS.

जैसा कि आपको ज्ञात है, एनपीएस एक बाजार से जुड़ी अंशदायी पेंशन योजना है। इसलिए, वेतन बिलों को तैयार करने में देरी, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के एनपीएस योगदान को अपलोड/प्रेषित करने से ग्राहक को एक वित्तीय नुकसान हो सकता है, जिसका पेंशन धन संचय पर एक दीर्घकालीन प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप संबंधित एनपीएस कर्मचारी/अभिदाता का पेंशन भुगतान कम हो जाता है।

2. In this regard, we draw your attention to O.M. Ref. No. 1(7)(2003/TA/Part file/279 dated 02.09.2008 issued by Dept of Expenditure, Ministry of Finance and Rule 6 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021; notified on 30/03/2021 issued by department of Pension and Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, GOI, (enclosed) which inter-alia stipulates the following timelines for Central Government nodal officers:-

2. इस संबंध में, हम आपका ध्यान कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(7)(2003/टीए/पार्ट फाइल/279 दिनांक 02.09.2008 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के नियम 6 की ओर आकर्षित करते हैं (प्रति संलग्न) जो अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार के नोडल अधिकारियों के लिए निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित करता है:-

A. The DDO shall deduct the contribution from the salary of the Government servant

**क. डीडीओ सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान काटेगा और पीएओ/सीडीडीओ को बिल भेजेगा, साथ**

Page 1 of 2

and send the bill to the PAO/CDDO, along with details of contributions deducted in respect of each Subscriber on or before **Twentieth day of each month.**

B. The PAO/CDDO based on the details of contributions in respect of each Subscriber sent by the DDO to PAO/CDDO shall prepare and upload a Subscription Contribution File and generate a Transaction ID by **Twenty-fifth day of each month.**

C. The PAO/CDDO shall remit the contribution to the Trustee Bank through the Accredited Bank by the **last working day of each month.**

3. It may be accentuated that strict implementation of stipulated timelines for various NPS activities would be instrumental in inculcating discipline among the nodal officers, thereby improving the efficiency of the system. Accordingly, all the Central Government offices and Central Autonomous Bodies must ensure strict compliance as per extant guidelines/rules of DoE and Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021, in order to protect the interest of their employee-subscribers.

4. For any further clarification, your office may contact Mr. Manoj Tiwari (Asst. General Manager) at manoj.tiwari@pfrda.org.in.

ही प्रत्येक अभिदाता के संबंध में काटे गए अंशदान का विवरण प्रत्येक माह के **बीसवें दिन** या उससे पहले भेजेंगे।


ख. पीएओ/सीडीडीओ, डीडीओ द्वारा पीएओ/सीडीडीओ को भेजे गए प्रत्येक अभिदाता के संबंध में योगदान के विवरण के आधार पर एक सदस्यता अंशदान फाइल तैयार करेगा और अपलोड करेगा और प्रत्येक माह के **पच्चीसवें दिन** तक एक लेनदेन आईडी तैयार करेंगे।

ग. पीएओ/सीडीडीओ प्रत्येक माह के **अंतिम कार्य दिवस** तक मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से ट्रस्टी बैंक को योगदान प्रेषित करेंगे।

3. इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि विभिन्न एनपीएस गतिविधियों के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से कार्यान्वयन नोडल अधिकारियों के बीच अनुशासन पैदा करने में सहायक होगा, जिससे प्रणाली की दक्षता में सुधार होगा। तदनुसार, सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों और केंद्रीय स्वायत्त निकायों को अपने कर्मचारी-ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए डीओई और केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के मौजूदा दिशानिर्देशों/नियमों के अनुसार सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

4. किसी और स्पष्टीकरण के लिए, आपका कार्यालय श्री मनोज तिवारी (सहायक महाप्रबंधक) से manoj.tiwari@pfrda.org.in पर संपर्क कर सकता है।

भवदीय,

  
(विकास कुमार सिंह)  
मुख्य महाप्रबंधक



रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना)  
Controller of Defence Accounts (Army)  
बेल्वेडियर परिसर, आयुध पथ, मेरठ छावनी-250001  
Belvedere Complex, Ayudh Path, Meerut Cantt-250001  
फोन Phone 0121-2794354 फैक्स संख्या 0121-2646254

आजादी का  
अमृत महोत्सव

संख्या: एनपीएस/9823/परिपत्र/2022

दिनांक 05/09/2022

सेवा मे,

(ट्रैकिंग / बॉक्सलाइट के दौरा)

प्रभारी अधिकारी

1. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सेना) देहारादून
2. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (सेना) आगरा
3. लेखा कार्यालय, भारतीय सैन्य अकादमी, देहारादून
4. वेतन अनुभाग (स्थानीय)
5. प्रशासन-III (वेतन) (स्थानीय)
6. समस्त लेखा अधिकारी दुर्ग अभियंता

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 मे दिये गए प्रावधानों को अनिवार्य अनुपालन।

उपर्युक्त विषय के संबंध मे मुख्यालय कार्यालय के दिनांक 03/08/2022 के पत्रांक AT-II/NPS/PAOs Performance/E-1997 (प्रतिलिपि संलग्न) का संज्ञान लिया जा सकता है जिसके द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 मे दिये गए प्रावधानों को अनिवार्य अनुपालन के संबंध मे निर्देशित किया गया है।

2. NSDL से प्राप्त समीक्षा रिपोर्ट पर मुख्यालय कार्यालय द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी PAOs को निर्देशित किया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2021 मे दिये गए सभी प्रावधानों, विशेषकर नियम 4,6,7,8,10,11,12 और 25, का अनुपालन निर्धारित समय-सीमा और प्रक्रिया, जैसा कि उक्त नियम मे विदित किया गया है, के अनुरूप सावधानीपूर्वक किया जाए।

3. इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं, को उक्त नियम के बारे मे अवगत कराया जाए और इनकी प्रति भी उन्हे उपलब्ध करायी जाए।

4. उक्त नियमो के अनुपालन नहीं होने की स्थिति मे उक्त नियम के नियम-8 के उपनियम 2(i)(iii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

समुदायिका ने देख लिया है।

लेखा अधिकारी (वेतन-एनपीएस) *Alam*